Uttarakhand Open University

Admission Policy

for

Ph.D. programme

Uttarakhand Open University, Haldwani
Behind Transport Nagar, Teenpani Bypass Road Haldwani, 263 139
District- Nainital, Uttarakhand
Telephone No. 05946286047

पीएच0डी0 कार्यक्रम हेतु प्रवेश नीति

प्रथम अध्यादेश के अध्याय 10 को प्रतिस्थापित करते हुए
(विश्वविद्यालय के अधिनियम के अध्याय 2.5(XIV), अनुच्छेद 32.2(क) एवं परिनियम 37(5) के अधीन शोध उपाधि अध्यादेश, 2023 से)

4.0 प्रवेश हेतु प्रक्रिया:

4.1 विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (CRET)/उत्तराखण्ड राज्य द्वारा संचालित संयुक्त पीएच0डी0 प्रवेश परीक्षा (CPET) के माध्यम से पीएच0डी0 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। यूजीसी-नेट(जेआरएफ)/यूजीसी-सीएसआईआर-नेट(जेआरएफ)/गेट/ शिक्षक अध्येतावृत्ति धारक अभ्यर्थियों को इस प्रवेश परीक्षा से छूट होगी। नेट/स्लेट/गेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा देनी होगी।

4.2 विश्वविद्यालय में कार्यरथ यूजीसी-नेट/यूजीसी-सीएसआईआर नेट/गेट/जे0आर0एफ0/पीएच0डी0 हेतु इन्सपायर फैलोशिप धारक और इसी स्तर के परीक्षाओं में अध्येयतावृत्ति/छात्रवृत्ति प्राप्त अभ्यर्थियों को पीएच0डी0 प्रवेश परीक्षा में शामिल होने से छूट रहेगी। हालॉकि उन्हें इस हेतु निर्धारित साक्षात्कार में सम्मिलित होना आवश्यक होगा।

4.3 अनुच्छेद (4.2) के अर्न्तगत प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुलपति अपने विशेषाधिकार से सम्बन्धित विषय एवं वर्ष के अर्न्तगत विज्ञापित सीटों से अतिरिक्त आवश्यक सीटों की स्वीकृति प्रदान करेंगें। ऐसी सीटें विज्ञापित सीटों से अतिरिक्त होंगी।

4.4 विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों को द्विचरणीय प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला देगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2022 के अनुसार "उम्मीदवारों के चयन हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए 70 प्रतिशत तथा साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में प्रदर्शन के लिए 30 प्रतिशत का महत्व दिया जायेगा।

4.5 प्रवेश परीक्षा एक अर्हक परीक्षा होगी,प्रवेश परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के पात्र होंगे। प्रवेश परीक्षा के पाठ्यविवरण में 50 प्रतिशत शोधपद्धति तथा 50 प्रतिशत विशिष्ट विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। पीएच0डी0 प्रवेश परीक्षा का स्वरूप यूजीसी/सीएसआईआर नेट के अनुरूप होगा। प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न सम्मिलित होगे तथा परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं होगा। प्रवेश परीक्षा पहले से ही अधिसूचित केन्द्रो (यदि केन्द्रोंमें कोई परिवर्तन होता है तो पर्याप्त समय पूर्व उसकी जानकारी पृथक रूप से विश्वविद्यालय द्वारा दी जायेगी) पर होगी।

4.6 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग;(EWS) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के विद्यार्थियों लिए प्रवेश परीक्षा में 5 प्रतिशत अंकों की छूट की अनुमति दी जाएगी।

4.7 विश्वविद्यालय उपलब्ध रिक्त पीएच0डी सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले पात्र अभ्यर्थियों की संख्या तय कर सकता है। पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश यूजीसी और अन्य संबंधित वैधानिक/नियामक निकायों द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए और केंद्र /राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आरक्षण नीति का पालन करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित मानदंडों पर आधारित होगा।

4.8 अभ्यर्थियों की शोध अभिरुचि/क्षेत्र पर चर्चा के लिये एक विधिवत् विभागीय शोध समिति गठित की जाएगीं। जिसके समक्ष प्रस्तुतीकरण के माध्यम से साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार किया जाएगा। यह साक्षात्कार तीन बिन्दुओं-1. अवधारणा-पत्र लेखन (10 अंक), 2. शोध अभिरूचि संबंधी प्रस्तुतीकरण (10 अंक), एवं मौखिक साक्षात्कार (10 अंक), पर आधारित होगा। अर्थात् कुल 30 अंको का साक्षात्कार होगा।

जे.आर.एफ. अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में छूट दी जाएगी। अंतिम मेरिट सूची तैयार करने हेतु उपरोक्त अभ्यर्थियों के राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को आनुपातिक रूप से 70 प्रतिशत के पैमाना में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की प्रक्रिया अन्य अभ्यर्थियों के जैसे आयोजित की जायेगी।

4.9 साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार में निम्नवत पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा।

1. क्या अभ्यर्थी में प्रस्तावित शोध के लिए क्षमता है।
2. प्रस्तावित शोध कार्य सुलभतापूर्वक विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किया जा सकता है।
3. प्रस्तावित शोध के क्षेत्र द्वारा नवीन/अतिरिक्त ज्ञान में योगदान प्राप्त हो सकता है।

4.10 अभ्यर्थियों के शोध रूचि क्षेत्र के परीक्षण एवं साक्षात्कार हेतु विधिवत समिति गठित की जायेगी, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा-

1. समिति संयोजक संबंधित विषय का संयोजक
2. सदस्य सम्बन्धित विषय के अर्ह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक
3. विद्याशाखा के निदेशक

उक्त समिति विद्याशाखा के निदेशक के निर्देशन में प्रस्तुतिकरण तथा साक्षात्कार का संचालन करेगी, किन्तु निदेशक द्वारा साक्षात्कार में अंक नहीं दिये जायेंगे। संयोजक शाखा के निदेशक के माध्यम से साक्षात्कार समिति के विधिवत गठन हेतु माननीय कुलपति जी से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त, साक्षात्कार का आयोजन करेंगे।

4.11 विश्वविद्यालय अपनी वेबसाईट पर पीएच0डी0 के लिए पंजीकृत सभी छात्रों की सूची का रखरखाव वार्षिक आधार पर करेगा। सूची में पंजीकृत अभ्यार्थी का नाम, नामांकन/पंजीकरण की तिथि/संख्या, उसके शोध का विषय, तथा पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक का विवरण आदि शामिल होंगे।

5.0 **पंजीकरण:**

5.1 प्रमाण पत्रों के सत्यापन तथा काउंसलिंग के उपरान्त प्री0-पीएच0डी0 पाठ्यक्रम के लिए पीएच0डी0 कार्यक्रम प्रवेश फार्म तथा प्री-पीएच0डी कोर्स वर्क शुल्क जमा किया जाएगा। इस तिथि को पीएच0डी0 कार्यक्रम के लिए प्रवेश की तारीख;

(Date of Admission for Ph.D programme) माना जायेगा। प्री पीएच0डी कोर्स वर्क के सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर शोधार्थी द्वारा शोध हेतु आवेदन पंजीकरण पत्र तथा अनुसंधान हेतु वार्षिक रूप से शुल्क जमा किया जाएगा, इस तिथि को शोध पंजीकरण तिथि (Date of admission for Registration in Research work) माना जाएगा। उसके बाद अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

5.2 कोर्स वर्क की अवधि शोध कार्य की अवधि के साथ जोड़कर कुल अवधि की गणना की जायेगी। यदि किसी शोधार्थी का पीएच0डी0 कार्य से सम्बन्धित शोध–पत्र हाई इंपैक्ट फैक्टर वाले शोध पत्रिका में प्रकाशित होता है, तो ऐसे अभ्यर्थी की शोध ग्रन्थ जमा करने की अवधि को शोध उपाधि समिति की अनुशंसा पर कम किया जा सकता है।

5.3 शोध उपाधि समिति उन छात्रों के पुर्नपंजीकरण अनुरोध पर विचार कर सकती है जिनका पंजीकरण निरस्त किया गया है। पुर्नपंजीकरण के लिए आवेदन यदि शोधार्थी के पंजीकरण निरस्त होने से एक वर्ष से कम अवधि के भीतर किया गया हो तो सम्बन्धित निदेशक की संस्तुति पर कुलपति द्वारा विचार किया जा सकता है।

5.4 कार्यक्रम शुल्क में, पंजीकरण शुल्क, पाठ्यकार्य शुल्क, मूल्यांकन शुल्क एवं कोई अन्य शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विहित की जाय सम्मिलित होंग, और सदैव वार्षिक आधार पर प्रभारित होंगे।

5.5 निम्न कारणों से छात्र का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है-

(i) शुल्क का भुगतान न करने पर।
(ii) असंतोषजनक प्रगति।
(iii) अध्यादेशों के उपबन्धों का अनुपालन न करने पर।
(iv) विहित समय सीमा के भीतर डिजर्टेशन/थीसिस प्रस्तुत न करने पर।
(V) शोधार्थी द्वारा अनुशासनहीनता करने पर। प्रकरण अनुशासन समिति को संदर्भित किया जायेगा और समिति की अनुशंसा पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।